न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :— श्री श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

न. मु. 24/2019

1 फुले खॉ पुत्र स्व. रहमत खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

2 छोटू खॉ पुत्र स्व. रहमत खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

3 दुले खॉ पुत्र स्व. रहमत खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

4 जमाल खॉ उर्फ वारिस खॉ पुत्र स्व. रहमत खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

5 जरीना पत्नी दुले खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

..............वादी

बनाम

1 इब्राहीम खॉ पुत्र स्व. रहमत खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

2 सरवर खॉ पुत्र स्व. रहमत खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

3 श्रीमती गुलशन पुत्री मजीद खॉ कायमखानी निवासीनी दड़ीबा बीदासर चूरू

4 निवाज खॉ वल्द मजीदखॉ कायमखानी निवासी दड़ीबा बीदासर चूरू

5 सईदन पुत्री रहमत खॉ पत्नी सबीर खॉ भंवरू खॉ हाथीखानी जाति कायमखानी निवासी ग्राम नेछवा तहसील व जिला सीकर राजस्थान।

6 मुमताज पुत्री स्व. रहमत खॉ पत्नी नशीर खॉ नसवाण मौजूखॉ नसवाण जाति कायमखानी निवासी स्टेशन बास, ड्रीम लाईट सिनेमा के पास सुजानगढ़

7 श्रीमती केशर पत्नी स्व. लाउ खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

8 असलम खॉ पुत्र स्व. लाउ खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

9 बबलू खॉ पुत्र स्व. लाउ खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

10 सलमा पुत्री स्व. लाउ खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

11 फरजाना पुत्री लाउ खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

12 सीमा पुत्री लाउ खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

13 रहीमा पुत्री लाउ खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू
सत्यमेव जयते

लगातार...2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

14 श्रीमती भंवरी पत्नी मरहूम गोरू खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

15 अनवर खॉ वल्द मरहूम गौरू खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

16 सायरा बानो पुत्री मरहूम गौरू खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

17 शेरबानो पुत्री मरहूम गौरू खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

18 कादर बानो पुत्री मरहूम गौरू खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

19 जुबैदा पुत्री मरहूम गौरू खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

20 रूकिया पुत्री मरहूम गौरू खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

21 अफसाना पुत्री गौरू खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

22 यास्मीन पुत्री मरहूम गौरू खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

23 जाकिर पुत्री मरहूम गौरू खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

24 नजमा पुत्री मरहूम गौरू खॉ जाति कायमखानी निवासी वार्ड न. 22, कायमखानी बास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला—चूरू राजस्थान।

25 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार जिला—चूरू राजस्थान

..............प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रेंकार्ड दुरूस्ति, विभाजन व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 88, 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955''

उपस्थित :—

1 वादीगण — श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी — पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 23 /9 /2019

वाद पत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि रोही बैनाथा जोगलिया में खातेदारी खेत खसरा नम्बर 92 रकबा 9.5354 हैक्टेयर (37—14 बीघा) तथा खेत खसरा नम्बर 99 रकबा 5.6276 हैक्टेयर (22—05 बीघा) कुल खसरे 2 कुल रकबा 15.1630 हैक्टे. (59—19 बीघा) वादीगण एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 24 के सयुक्त खातेदारी के पैतृक पुश्तैनी भूमि खेत है। जिन्हे आगे वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। उपरोक्त वर्णित वादगत खेत खसराजात की भूमि हमेशा से वादीगण एवं प्रतिवायान् के पिता/ससुर/दादा **रहमत खॉ वल्द बख्तावरखॉ कायमखानी** के कब्जा अधिकार में एवं स्वामित्व में रही है तथा उपरोक्त खसरा भूमि वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सख्या 2, 3, 4 व 14 ता 24 के कब्जा अधिकार एवं मालिकाना काबिजाना अधिकारों की है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 24 आपस में सगे रक्त सम्बन्धि है और आपसी सुविधानुसार अपनी उपरोक्त खसराजात की भूमि सम्पति का अपने पिता रहमत खॉ की हैयाती से ही हिस्सा पांती कर अपने अपने हिस्सा मुताबिक काश्त किया करते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित खसराजात की भूमि का मौखिक तौर पर विभाजन किया जाकर अपनी अपनी सीवें कायम की हुई है और निर्बाध रूप से बिना किसी उजरदारी के काश्त की जाती रही है। वादीगण का अपने हिस्सा पांती पर अपने पिता के वक्त से किये गये विभाजन मुताबिक साधिकार पूर्वज

उपखण्ड अधिकारी बीदासर

लगातार.......3 पर

कब्जा दखल चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित खसराजात की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सख्या 2, 3, 4 तथा 14 ता 24 का हक हिस्सा हैं प्रतिवादीगण सख्या 5 व 6 वादीगण की सगी बहने/नणदे है जिनका वादीगण के पिता/ससुर रहमत खॉ द्वारा वर्षो पूर्व विवाह कर दिया गया और प्रतिवादीगण 5, 6 अपने घरबार की है। विवादित खसराजात की भूमि में कभी प्रतिवादीगण सख्या 5 व 6 का उपरोक्त विवादित खसराजात की भूमि में कभी कोई हक हिस्सा नहीं रहा है, प्रतिवादीगण सख्या 1 व 7 ता 13 (लाउखॉ) को वादीगण के पूर्वज रहमत खॉ द्वारा अपनी हैयाती में ही अलग से भूमि देने के कारण उपरोक्त विवादित भूमि में इनका कभी कोई हक हिस्सा नहीं रहा है। प्रतिवदीगण 1 तथा 5 ता 13 का नाम वादगत खसराजात में गलत और निराधार चला आ रहा है। वादगत खसराजात में प्रतिवादीगण सख्या 1 तथा 5 ता 13 का कभी कोई हक हिस्सा ओर अधिकार नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में विवादित भूमि में प्रतिवादीगण सख्या 1 व 5 ता 13 का कोई कब्जा अधिकार है। उपरोक्त वर्णित खसराजात की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 24 द्वारा आपस में मौखिक विभाजन किये जाने के काफी वर्षो बाद एक लिखित बन्टवारानामा दिनांक 20–12–2010 को किया जा चुका है जिसके मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर अपने अपने हिस्सा में काबिज काश्त है। उपरोक्त वर्णित खातेदारी खेत खसरान् में हिस्सा पांती और कब्जे काश्त एवं फसल को लेकर कभी कोई विवाद वादीगण एव प्रतिवादीगण के बीच नहीं किया गया इसलिए राजस्व रेकार्ड के बारे में पक्षकारान् ने कभी कोई ज्ञान नहीं किया। वादीगण और प्रतिवादीगण का खान पान रहन सहन अलग अलग है तथा विवादित खसराजात की भूमि में अपनी अलग अलग सींवे कायम करके अपने अपने हिस्से पर कायम है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से मिलने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं का फायदा लेने के लिए वादीगण ने अपने खेत के रेकार्ड बाबत पटवारी हल्का से सम्पर्क किया और जमाबन्दी निकलवाई तो प्रतिवादीगण को इस प्रकार गलत खातेदारी का ज्ञान हुआ। वर्तमान में भूमि की किमतें ज्यादा बढ़ जाने के कारण प्रतिवादीगण गलत खातेदारी को लेकर वादी से आये दिन विवाद करने लगे है प्रतिवादीगण सख्या में अधिक होने के कारण वादीगण उनका बलपूर्वक मुकाबले करने में सक्षम नहीं है इस कारण प्रतिवादीगण को न्यायालय से वर्जित करवाने के अलावा दुसरा कोई विकल्प वादी के पास नहीं है। प्रतिवादीगण 1 ता 24 ने वादीगण को बैनाथा जोगलिया में खातेदारी खेत खसरा नम्बर 92 रकबा 9.5354 हैक्टेयर (37–14 बीघा) तथा खेत खसरा नम्बर 99 रकबा 5.6276 हैक्टेयर (22–05 बीघा) में अपने नाम चल रही गलत और निराधार खातेदारी की आड़ में जबरन बेदखल करने की कुचेष्टा में है जिसके लिए प्रतिवादीगण ने वादीगण को दिनांक 16–4–2019 को ऐलानिया धमकी दी है कि हमे खेत हिस्सा से बेदखल करेगे इस कारण वादीगण को वाद हैतुक प्राप्त है दावा अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का हो चला है जो धारा 80(2) के नाटिस से छूट लेकर प्रस्तुत किया जा रहा है वादी वादगत भूमि का खातेदार एवं कब्जेधारी काश्तकार है इस कारण वादी को वादाधार प्राप्त है। गलत खातेदारी की आड़ में प्रतिवादीगण 1 ता 24 वादगत भूमि हिस्सा को विक्रय हस्तान्तरण कर सकते है इस कारण वादीयान् के लिए आवश्यक हो गया है कि वह वर्तमान खातेदारी रेकार्ड को दुरूस्त करवा कर खसरा नम्बर 92, 99 की खातेदारी का राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवा कर, विभाजन करवा कर अलग खातेदारी दर्ज करवाये जिसके वादीगण अधिकारी है। प्रतिवादीगण 25 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर भू–धारक होने के कारण पक्षकार संयोजित है। विवादित खेत बैनाथा जोगलिया में स्थित हैं जिसके कारण उपरोक्त खसराज के सम्बन्ध में तमाम प्रकार के विवाद सुनने का श्रीमानजी के न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स. 1 ता 5 व 7, 11, 14, 15, 16, 18, 19 ता 24 बावजूद विधिवत तामील के अनुपस्थित रहने के कारण एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी ख्या 25 तहसीलदार बीदासर ने राजहित नहीं होना अंकित किया। तारीख पेशी दिनांक 26.7.2019 को प्रतिवादी सख्या 6, 8 ता 10 व 12, 13 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी फुलेखॉ, दुलेखॉ, छोटू खॉ ने सशपथ बयान प्रस्तुत किये गये। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2076–2079 खेत खसरा नम्बर 92, 99 व नक्शा एक्स खेत खसरा नम्बर 92, 99 प्रदर्श–2, जमाबन्दी संवत 2076–2079 खेत खसरा नम्बर 497/98, 499/188 प्रदर्श–3, जमाबन्दी संवत 2076–2079 खेत खसरा नम्बर 496/98, 498/188 प्रदर्श–4, प्रतिज्ञा पत्र प्रदर्श–5 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये। प्रस्तुत वाद में वादीगण ने पूर्वजो के वक्त से कब्जा काश्त एवं बाहमी बन्टवारा अनुसार खातेदारी घोषणा करने का निवेदन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं साक्ष्य वादीगण का भलीभांती अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादगत खेत की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 24 के नाम रही है। जबकी वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार एवं वादीगण के पिता के वक्त के बाहमी बन्टवारा,

लगातार.........4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

खातेदारान् के आपसी सहमति से किये गये विभाजन मुताबिक प्रतिवादी सख्या 1, 5, 6 व प्रतिवादी सख्या 7 लगायत 13 का वादगत खसराजात में कोई हित कब्जा या अधिकार नहीं रहा है जिसका स्पष्ट अंकन वादी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत सशपथ बयानो में किया गया है। वादी का वाद बाबत घोषणात्मक रेकार्ड दुरूस्ति, विभाजन व चिर निषेधाज्ञा किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः खेत खसरा नम्बर 92 तादादी 9.5354 हैक्टेयर (37–14 बीघा), खसरा नम्बर 99 रकबा 5.6276 हैक्टेयर (22–05 बीघा) रोही बैनाथा जोगलिया के वर्तमान खातेदारी रेकार्ड को दुरूस्त कर वर्तमान खातेदार प्रतिवादी स. 1 व 5 ता 13 का नाम हटाया जाकर उक्त खेत की खातेदारी रेकार्ड में मुताबिक बाहमी बन्टवारा खेत खसरा नम्बर 92 रकबा 9.5354 हैक्टेयर में वादी स. 1 के उतरी पश्चिमी कोने की 7–05 बीघा, प्रतिवादी स. 14 लगायत 24 के वादी स. 1 के पूर्वी तरफ चिपती 5–04 बीघा, वादीया स. 5 के उतरी पूर्वी कोने की 5–09 बीघा, वादीया स. 5 के दक्षिणी तरफ चिपती भूमि 1–10 बीघा प्रतिवादी सख्या 3 व 4 के ब.हि.ब. तथा वादी स. 3 के उक्त खसरा न. 92 की दक्षिणी पश्चिमी पाखी की 9–01 बीघा व वादी स. 2 के उक्त खसरा न. 92 की दक्षिणी पूर्वी कोने की 9–05 बीघा तथा विवादित खेत खसरा नम्बर 99 रकबा 5.6276 हैक्टेयर (22–05 बीघा) में पूर्वी तरफ की 1/2 हिस्सा वादी 4 के तथा पश्चिमी तरफ की 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 2 के पृथक पृथक दर्ज किया जावे। खेत खसरा नम्बर 92 के खातेदारान् के आवागमन का नीजि रास्ता उक्त खसरा की पश्चिमी सींव से पूर्वी सींव तक खातेदारान् का अपनी अपनी हिस्सा भूमि में से नीजि उपयोग उपभोग के लिए रखा जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जाता है कि वादी के कब्जे उपयोग उपभोग में बाधा नहीं करें। उपरोक्तानुसार नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने बाबत तहसीलदार बीदासर को अलग से तहरीर जारी की जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

निर्णय आज दिनांक 23 –9 –2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर